

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/good governance/18-19/12704-13 दिनांक : 08.03.19

परियोजना अधिकारी

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

डूंगरपुर।

विषय : गुड गवर्नेन्स संबंधित कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति 11000-30 दिनांक. 28.02.2019 के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम सं.-7 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

जिला-डूंगरपुर कार्यकारी एजेन्सी- पंचायत समिति

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	कार्य विवरण	पं.स.	प्रशा. स्वी.		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र./दि.	राशि	क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रा.उ.मा.वि.दौलपुरा में छात्र व छात्राओं हेतु प्रथक-प्रथक शौचालय ब्लॉक निर्माण मय पानी की व्यवस्था	साबला	11000-30 Dt. 28.02.2019	5.00	AEN/PS/SABLA 722/19.02.2019	5.00
			योग	5.00		5.00

उपरोक्त कार्य पर राशि रु 5.00 लाख का व्यय संविधान की धारा 275 (1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 49/2017-18 जयपुर दिनांक 27.07.2017 द्वारा टीएडी के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशि में से होगा।

शर्त:-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही किया जावे। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्य में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
4. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
5. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।

भवदीय


(भवानी सिंह दिथा) I.A.S

आयुक्त

कृ.पू.उ.

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/good governance/18-19/12704-13 दिनांक : 08.03.19
प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सचिव मा.मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275 (1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 49/2017-18 जयपुर दिनांक 27.07.2017 द्वारा टीएडी के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशि में से राशि रू. 5.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को हस्तांतरित करावे।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति साबला जिला डूंगरपुर।
6. निदेशक मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि दौलपुरा प.स. साबला जिला डूंगरपुर।
9. गार्ड फाईल।


 अतिरिक्त आयुक्त II
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
 उदयपुर (राज.)